उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 15 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 05 मार्च, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. निधन के निदेश।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड के मजाहदपुर सतीवाला गांव में रतमऊ नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में" श्री अजीम पुत्र श्री राव वसीम एवं अन्य निवासीगण, लाल वाला खालसा ब्लाक भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत ए0एन0के0 इण्टर कालेज गूलर भोज को सवित्त मान्यता दिये जाने विषयक" श्री कुलवन्त सिंह पुत्र श्री गुरूबख्श सिंह एवं अन्य निवासीगण, ग्राम चन्दायन, पोस्ट गूलर भोज जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

10. श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2008 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ख"**)

11. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 05 मार्च, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
बुधवार, 15 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(दिनांक : 05 मार्च, 2008)
नत्थी "क"

तारांकित प्रश्न

श्री शहजाद 21–01–2008	*1. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को तत्काल राहत राशि प्रदान करने की कोई योजना 8 मार्च, 2007 को शुरू की गयी है? यदि हाँ, तो इस योजना का प्रारूप क्या है? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत कितने परिवारों को कितनी तत्काल राहत राशि प्रदान की गयी है? क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि 8 मार्च, 2007 से 30 नवम्बर, 2007 तक हरिद्वार जनपद में कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है और तत्काल राहत राशि के रूप में कितना धन अवमुक्त किया गया है?	परिवहन
श्री सुरेन्द्र राकेश 22–01–2008	*2. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों से सटे हुए गाँवों में पीने का पानी दूषित हो रहा है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार जनहित में इन कारणों को दूर करेगी? यदि नहीं तो क्यों?	पेयजल
श्रीमती अमृता रावत 24–01–2008	*3. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से गांव हैं, जिनमें नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति न होने की शिकायतें रहती हैं? क्या सरकार उक्त गांवों में नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति सुनिश्चित करने/करवाने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही/प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? कब तक उक्त गांवों की पेयजल समस्या का समाधान किया जायेगा?	पेयजल
श्री केदार सिंह रावत 25–01–2008	*4. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि मनेरीभाली द्वितीय चरण में कार्य कर रही राजकुमार कन्सट्रक्शन कम्पनी ब्लैक लिस्टेड हो गयी थी तथा उन्ही संचालकों/मालिकों द्वारा पुनः नया नाम श्रृंग कम्पनी रखा गया है? यदि हाँ, तो सरकार इस कम्पनी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री मुन्ना सिंह चौहान 31–01–2008	*5. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में भविष्य में सम्भावित पेयजल संकट की दृष्टि से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण/चिन्हीकरण किया गया है? यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है और भविष्य में उक्त पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनायी गयी है? यदि नहीं तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सम्भावित जल संकट के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण का कार्य किस विशेषज्ञ संस्था से कराया जा रहा है?	पेयजल

श्री मुन्ना सिंह चौहान 01–02–2008	*6.	क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल श्रोतों की कमी को देखते हुए क्या सरकार पेयजल योजनाओं के डिज़ाइन को इस प्रकार बनाने पर विचार करेंगे जिससे पेयजल के साथ–साथ सरप्लस जल का सिंचाई में भी उपयोग किया जा सके? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के पैटर्न पर भी विचार करेगी?	**पेयजल**
श्री ओम गोपाल 01–02–2008	*7.	क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा ढालवाला में हाथी आये दिन घरों की चहारदीवारी व गेट तोड़ने व दुकानों के शटर तोड़ कर उत्पात मचा रहे हैं जिससे आबादी वाले क्षेत्र में हाथी की लगातार आमद से ग्रामीणों को जानमाल व खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं जिस कारण गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो क्या वन मंत्री जी ग्राम सभा ढालवाला में हाथी द्वारा किये जा रहे उत्पात व आतंक को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री सुरेन्द्र राकेश 04–02–2008	*8.	द्वितीय सत्र 2007 के द्वितीय बुधवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या दो (2) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिकरोठा पेयजल योजना हेतु वर्ष 2001–02 में अवमुक्त बीस लाख रूपये की धनराशि का उपयोग किसके द्वारा किया गया? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा क्या निर्णय लिया गया है तथा योजना का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा?	**पेयजल**
श्री गोपाल सिंह रावत 05–02–2008	*9.	क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिडकुल हरिद्वार में सोमानी फोम नामक टायर मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग स्थापित हुआ है? क्या यह सत्य है कि देश के 16 राज्यों द्वारा सोमानी फोम कम्पनी को नेगेटिव सूची में डाला गया था? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यावरणीय सम्वेदनशील राज्य उत्तराखण्ड में नेगेटिव लिस्टेड कम्पनी को उद्योग लगाने की अनुमति किस आधार पर दी गई तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है?	**पर्यावरण**
श्री केदार सिंह रावत 06–02–2008	*10.	क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना द्वितीय चरण की टरबाइन में क्रैक आने तथा वाल्ब चैम्बर में लीकेज होने से परियोजना को गम्भीर खतरा हो गया है? यदि हाँ, तो सरकार परियोजना की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार तकनीकी दोषों के कारण हुई क्षति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी?	**तृतीय सोम के तारा0 14 में स्था0**
श्री केदार सिंह रावत 06–02–2008	*11.	क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मनेरी भाली द्वितीय चरण में कार्यरत कम्पनी को 70 करोड़ रूपये काम न करने के मुआवजे के रूप में डी0 आर0 बी0 द्वारा अदा किये गये? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में?	**सिंचाई**

श्री गोपाल सिंह रावत 07–02–2008	*12.	क्या वन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में सड़क इत्यादि के निर्माण में पड़ने वाली 5 हैक्टेयर तक वन भूमि की स्वीकृति हेतु लखनऊ जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार 5 हैक्टेयर तक की वन भूमि स्वीकृति हेतु राज्य की राजधानी में ही व्यवस्था करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

अतारांकित प्रश्न

श्री शहजाद 21–01–2008	1.	क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ग्राम लहबोली (नहारपुर) में स्थित जगदीश ब्रिक फील्ड को पर्यावरण प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो किन आधारों पर प्रदान किया गया है?	पर्यावरण
श्री शहजाद 21–01–2008	2.	क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार स्थित उपरी गंगनहर के किनारे पर बनाये गये काँवड मार्ग व बाउन्ड्री वाल में प्रयोग की गयी सामग्री ईंट, सीमेंट व रेत की गुणवत्ता के मानक क्या हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त काँवड मार्ग व बाउन्ड्री वाल के निर्माण में कितना धन व्यय किया गया और इसकी निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त काँवड मार्ग व बाउन्ड्री वाल की कितनी समय सीमा तक गारंटी दी गयी थी?	सिंचाई
श्रीमती अमृता रावत 22–01–2008	3.	क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्ग हैं, जिन पर अभी तक नियमित बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवाएं संचालित न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक उक्त मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है?	परिवहन
श्रीमती अमृता रावत 22–01–2008	4.	क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बस सेवाओं के नियमित संचालन के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सम्बोधित क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख का पत्रांक बहेड़ाखाल/7–परिवहन/2007–08 दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 कब प्राप्त हुआ है और पत्र में वर्णित समस्याओं के समाधान में उठाए गए बिन्दुओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?	परिवहन
श्री केदार सिंह रावत 25–01–2008	5.	क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2006 का पारित व वर्ष 2007 में लागू केन्द्रीय जनजाति व परम्परागत वनवासी अधिकार अधिनियम प्रदेश में लागू हो गया है? यदि हाँ, तो इसके तहत क्या कार्यवाही की जा रही है?	वन

श्री चन्दन राम दास 25–01–2008	**6.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में सीवर लाइन के विस्तारीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री ओम गोपाल 04–02–2008	**7.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि नरेन्द्रनगर विधान सभा के अन्तर्गत पट्टी क्वीली/पालकोट धारकरिया के लिए कोटेश्वर पम्पिंग योजना दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हुयी थी लेकिन उपरोक्त योजना का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त योजना का निर्माण द्रुत गति से करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री सुरेन्द्र राकेश 30–01–2008	**8.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों को पुराने व सूखे एवं इमारती वृक्षों को काटने की अनुमति प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त कितने समय बाद मिलती है? क्या सरकार शासनादेश एवं अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं तो क्यों?	वन
श्री खजानदास 31–01–2008	**9.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत कुल कितने मोटर मार्ग भारी वाहनों/परिवहन निगम की बसों के आवागमन के लिये उपर्युक्त हैं तथा कितने मोटर मार्गों पर वर्तमान में परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है? क्या मंत्री जी जनहित में भारी वाहनों के लिये उपर्युक्त मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों के संचालन की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री खजानदास 31–01–2008	**10.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काण्डी के ग्रामीणों द्वारा काण्डी पेयजल योजना की माँग लम्बे समय से की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी जनहित में अति आवश्यक काण्डी पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री बलबीर सिंह नेगी 31–01–2008	**11.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के वि0ख0 रायपुर के अन्तर्गत विवेकानन्द फेस–II में पेयजल की गम्भीर समस्या है जिस कारण उक्त क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को पीने का पानी सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि वर्तमान समय में उक्त ग्राम में लगभग 100 परिवार निवास कर रहे हैं तथा पेयजल समस्या के निराकरण हेतु लोगों को टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

श्री मुन्ना सिंह चौहान 01—02—2008	**12.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जल श्रोतों के रिचार्जिंग में जबरदस्त कमी हो रही है? यदि हाँ, तो क्या जल श्रोतों के कैचमेन्ट में जल संवर्धन के विशेष कार्य विशेषज्ञों की सलाह पर कराये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कैचमेन्ट के एक निश्चित क्षेत्रफल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	पेयजल
श्री ओम गोपाल 01—02—2008	**13.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में भरपूर पेयजल योजना से स्थानीय जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? क्या यह सत्य है कि इस पेयजल योजना की क्षमता पेयजल माँग की अपेक्षा कम है? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त पेयजल योजना की जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने हेतु योजना का विस्तार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री खजानदास 01—02—2008	**14.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत एन्दी भड़ेती मोटर मार्ग, नैनबाग घोड़ाखुरी मोटर मार्ग, मसूरी सुवाखोली थत्यूड़ मोटर मार्ग पर गरखेत तक उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवायें शुरू किये जाने हेतु क्षेत्रवासी लम्बे समय से माँग करते आ रहे हैं? यदि हाँ, तो अब तक भी उक्त मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी जनहित में उक्त मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों का संचालन की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	परिवहन
श्री यशपाल बेनाम 01—02—2008	**15.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वैप प्रणाली के अन्तर्गत अभी तक राज्य में कुल कितनी योजनायें निर्माणाधीन है और कुल कितनी धनराशि योजनाओं के लिए स्वीकृत हुई है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनायें कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री मयूख महर 01—02—2008	**16.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि पिथौरागढ़ में घाट लिफ्टिंग पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पुनर्गठन कार्य में क्या लागत आयेगी तथा पुनर्गठन से शहर की जनता को पर्याप्त जल उपलब्ध हो जायेगा व वर्तमान पुनर्गठन का स्टीमेट पिथौरागढ़ की कितनी जनसंख्या को मानक मानकर बनाया जा रहा है? क्या सत्य है कि वर्तमान में घाट पेयजल योजना के खराब होने पर पिथौरागढ़ शहर के पुराने श्रोत शिवालय धारा, रई धारा, जी0आई0सी0 धारा, चिमस्या नौला, खड़कोट नौला, कोत का नौला, चन्द्रभागा धारा इत्यादि से शहर की जनता को जल उपलब्ध होता है? यदि हाँ, तो क्या विभाग के पास श्रोतों के रखरखाव हेतु कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

श्री मयूख महर 04–02–2008	**17.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ शहर हेतु निर्माणाधीन सीवर लाईन का कार्य नियत समय से विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा? क्या उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री राजेश जुवाँठा 04–02–2008	**18.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत आराकोट–चिवां मोटर मार्ग पर दि0 5–11–06 को हुई बस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार मृतक आश्रितों व घायलों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्री सुरेन्द्र राकेश 04–02–2008	**19.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में कितने मोटर मार्ग (परिवहन मार्ग) हैं तथा कितने मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही है? क्या सरकार मुख्य मोटर मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्री प्रेमानन्द महाजन 05–02–2008	**20.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंहनगर स्थित हरिपुरा जलाशय एवं बौर जलाशय निर्माण के समय अधिग्रहीत की गई कृषि भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	**सिंचाई**
श्री मयूख महर 05–02–2008	**21.** क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन मंत्री द्वारा गत वर्ष 20 मार्च 2007 को थरकोट झील का शिलान्यास किया गया था? क्या उक्त झील हेतु 80 लाख रू0 शासन से कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है? यदि हाँ, तो एक वर्ष व्यतीत होने व धन उपलब्ध होने के उपरान्त भी उक्त झील का कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**
श्री मनोज तिवारी 05–02–2008	**22.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या को देखते हुए कोसी नदी में बर्शिमी बांध बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक स्वीकृत हो जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?	**पेयजल**
श्री मनोज तिवारी 05–02–2008	**23.** प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 2.7.07 को नियम 300 के अन्तर्गत अल्मोड़ा विधान सभा, अल्मोड़ा नगर की भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए सरयू–शेराघाट पम्पिंग योजना की स्वीकृति विषयक सूचना के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**

श्री गोपाल सिंह रावत 06–02–2008	**24.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण से निर्मित जलाशय से जोशियाड़ा, ज्ञानसू तथा वाल्मीकी बस्ती उत्तरकाशी के कुल कितने आवास जलमग्न होंगे तथा प्रभावितों का पुनर्वास कब तक करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**
श्री मयूख महर 06–02–2008	**25.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम में मुख्य अभियंता के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने मुख्य अभियंता कार्यरत हैं?	**पेयजल**
श्रीमती आशा नौटियाल 07–02–2008	**26.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम सभा भणज में वर्ष 2006–07 में बिछायी गई पेयजल लाइन विगत समय से बन्द पड़ी हुई है? यदि हाँ, तो उसके रखरखाव/मरम्मत हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनायी है?	**पेयजल**
श्री गोपाल सिंह रावत 07–02–2008	**27.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जलौनी की लकड़ी की दरों में तीन गुना से अधिक मूल्य में वृद्धि कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान प्रचलित दरों की पुनर्समीक्षा कर जलौनी की दरें पूर्ववत् रखेगी? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ख"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में,
2. पुलिस सुधार में अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने, उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में,
3. शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के संबंध में,
4. शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में,

5. प्रत्येक विधान सभाक्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के संबंध में,
6. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए किसी योजना के संबंध में,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण के संबंध में,
8. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की अपार संभावनाओं को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में,

9. स्वास्थ्य उप केन्द्रों में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने के संबंध में,
10. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अभी भी रू0 3200-4900 का वेतनमान के स्थान पर अन्य राज्यों की भांति रू0 4500-7000 दिये जाने के संबंध में,
11. पिछले 4 माह से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही एन0टी0टी0 प्रशिक्षित महिला प्रशिक्षुओं की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
12. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में प्रदेश के नगरों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में,
13. 'सैफ गेम्स' की तैयारियों के संबंध में,
14. परिवहन निगम की दयनीय दशा सुधारने के उद्देश्य से नई बसों की खरीद के संबंध में,
15 .नये शहरों में आई0एस0बी0टी0 निर्माण एवं यात्री सुविधाओं के संबंध में,
16. नये विद्यालयों के सृजन एवं उच्चीकरण के संबंध में,
17. श्रीनगर मेड़िकल कालेज के लिये फैकल्टी व अन्य पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
18. जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती किये जाने के संबंध में,
19. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना के संबंध में,
20. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना के संबंध में,
21. मदरसों के आधुनिकीकरण के संबंध में,
22. नये आश्रम पद्धति विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण के संबंध में,
23. कर्मचारी समन्वय परिषद के गठन के संबंध में,
24. 'ऊर्जा प्रदेश' में विद्युत उत्पादन के लिये सरकार की योजना तथा नई परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में,

25. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष-2008 तक विद्युतीकृत किये जाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास के संबंध में,

26. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के गठन के संबंध में,

27. राज्य में दैनिक वेतनभोगी तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में,

28. विद्युत विभाग में होने वाले कार्यों के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों को दिये जाने तथा स्थानीय वेरोजगारों को सम्मिलित न किये जाने के संबंध में तथा

29. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिये प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

2. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में ठंड व पाले के असर से हुए फसलों व फलदार वृक्षों के नुकसान को 'दैवीय आपदा' घोषित करने,
2. गन्ना मूल्य का ब्याज सहित तुरंत भुगतान किये जाने,
3. दलित व अनुसूचित जाति को दिये जाने वाले आसामी पट्टो का नवीनीकरण किये जाने,
4. पाले के कारण गन्ने के बीज नष्ट हो जाने के कारण गन्ना किसानों को निःशुल्क गन्ने का उच्च कोटि का बीज उपलब्ध कराये जाने,
5. पी0 एच0 सी0 व सी0 एच0 सी0 (अस्पतालों) में एंटी, रेबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराने,
6. अल्प संख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने,
7. अल्प संख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने व निः शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने,
8. 60 वर्ष की आयु के समस्त वृद्धों एवं विधवाओं को पेंशन दिये जाने,

9. राज्य में पांच वर्षों से लंबित पड़ी चकबंदी प्रक्रिया का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने,
10. हरिद्वार जनपद के मंगलौर में डिग्री कालेज खोले जाने, तथा
11. हरिद्वार जनपद के मंगलौर में 'फायर स्टेशन' खोले जाने।

3. श्री सुरेन्द्र राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में पाले के अधिक पड़ने के कारण बाग/ उद्यान नष्ट हो गये हैं। उद्यान किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में
2. जनपद हरिद्वार में पाले के अधिक पड़ने के कारण नष्ट गन्ने का गन्ना किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में,
3. जनपद हरिद्वार में पाला अधिक पड़ने के कारण नष्ट हुई सब्जी का किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में,
4. जल स्तर गिरने के कारण हरिद्वार जनपद के घाड़ क्षेत्र में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप (ट्यूबवेल) लगवाये जाने के संबंध में,
5. जल स्तर गिरने के कारण पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु घाड़ क्षेत्र में हैण्डपंप लगवाये जाने के संबंध में,
6. बी0 पी0 एल0 सूची में छूटे हुए गरीब परिवारों को पुनः सर्वे कराकर सम्मिलित किये जाने के संबंध में,
7. हरिद्वार जनपद में बी0 पी0 एल0 परिवारों की गरीब महिलाओं को गैस कनैक्शन जारी किये जाने के संबंध में,
8. अनुसूचित जाति एवं निर्धन सामान्य जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग के बी0 पी0 एल0 पात्रों को आवासीय एवं जोत पट्टे आवंटित किये जाने के संबंध में,

9. बी0 पी0 एल0 परिवारों को दिये गये 'कुटीर ज्योति' कनेक्शनों के बिल माफ किये जाने के संबंध में,
10. उत्तराखण्ड में घरेलू कनेक्शनों का सरचार्ज माफ किये जाने के संबंध में,
11. स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर फार्मेसिस्ट की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
12. अनुदेशकों/आचार्यों को 'शिक्षा मित्र' का दर्जा किये जाने के संबंध में,
13. ट्रेजरी कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की तरह समझौते अनुसार संशोधित वेतनमान दिये जाने के संबंध में,
14. वक्फ बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में,
15. मुस्लिम एजुकेशन मिशन को बढ़ावा दिये जाने एवं उर्दू अनुवादकों/उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
16. वनग्रामों (टोगिया ग्रामों) को राजस्व ग्राम घोषित कर समस्त सुविधाऐं दिये जाने के संबंध में,
17. हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,
18. औद्योगिक क्षेत्र रायपुर, लक्सर, पुहाना, भगवानपुर का विकास सिडकुल की तरह सड़कों, बिजली, पानी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
19. 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को प्रदेश में स्थापित की जाने वाली फैक्ट्रियों/उद्योगों में स्थाई रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में,
20. औद्योगिक क्षेत्र में एस0सी0/एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0/ सामान्य निर्धन व्यक्तियों को आरक्षण दिलवाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
21. मंहगाई रोकने के ठोस उपाये किये जाने के संबंध में,

22. राजाजी पार्क से सटे गांवों के लिये जंगली जानवरों एवं हाथियों से आबादी एवं फसलों की सुरक्षा हेतु तार-बाड़ (बिजली) या दीवार बनाये जाने के संबंध में,

23. गंगा को प्रदूषण/गंदगी से बचाने की ठोस व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

24. बाड़ सुरक्षा एवं नियन्त्रण मंत्रालय द्वारा हरिद्वार जनपद के घाड़ क्षेत्र में कृषि भूमि के कटाव रोकन हेतु धन उपलब्ध कराकर तटबन्ध बनवाये जाने के संबंध में,

25. उत्तराखण्ड के समस्त जिलों को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के संबंध में,

26. किसानों को बिजली के कनेक्शन तत्काल जारी कर कनेक्शन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में,

27. हरिद्वार जनपद में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ने के कारण किसानों को राहत दिये जाने के संबंध में,

28. हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में,

29. हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 खोले जाने के संबंध में,

30. हरिद्वार जनपद के कलियर क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के संबंध में,

31. हरिद्वार जनपद के खेड़ी शिकोपुर में सोनाली नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में,

32. हरिद्वार जनपद के मजाहदपुर सतीवाला में रतमऊ नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में,

33. हरिद्वार जनपद के कलियर क्षेत्र में एक महिला डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,

34. हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,

35. सन् 73 एवं सन् 76 में आवंटित आसामी पट्टों को संक्रमणीय पट्टों में परिवर्तित किये जाने के संबंध में,

36. अनुसूचित जाति का कोटा 21.5 प्रतिशत किये जाने एवं ओ0बी0सी का कोटा 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में,

37. एस0सी0पी0 योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिये एक अलग से निदेशालय बनाये जाने के संबंध में,

38. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये प्रत्येक जिले में मैडिकल, इंजिनियरिंग, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के लिये उच्च कोटी के कोचिंग सेण्टर खोले जाने के संबंध में तथा,

39. कलियर शरीफ मेले का आयोजन राज्य सरकार कुम्भ मेले के अनुसार बजट उपलब्ध कराकर कराने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

4. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान,

2. थारू बुक्सा बंगाली परिवार के बच्चों को छात्रवृति एवं शिक्षा,

3. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में रायसिख और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्षो से डैंम किनारे बसे परिवारों को पट्‌टे जारी करने के सम्बन्ध में,

4. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में पॉलिटेक्निक और आई0टी0आई0 की स्थापना,

5. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में स्थापित हो रहे सिडकुल में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार दिये जाने,

6. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में महाविद्यालय की स्थापना,

7. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में विशेष संगठक योजना (स्पेशल कम्पोनेट प्लान) के वार्षिक बजट में कमी,

8. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में बेसिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षकों की कमी,
9. घरेलू गैस (एल0पी0जी0) की कमी दूर करने के संबंध में,
10. सितारगंज चीनी मिल की दुर्दशा ठीक कर पुनः स्थापित कराने,
11. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में राज्य योजना के तहत सड़कों का निर्माण करने के संबंध में,
12. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में बंगाली समुदाय के लोगों तथा रजाई, चटाई कारीगरों के उत्थान के संबंध में,
13. राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के संबंध में,
14. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना का उल्लेख न किये जाने, तथा
15. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना का उल्लेख न किये जाने के संबंध में।

5. श्री बलवीर सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. रोजगार देने का वादा पूर्ण न किये जाने और इस वर्ष प्रत्यक्ष सेवाओं में कम से कम 20 हजार नियुक्तियाँ करने,
2. विशिष्ट बी0टी0सी0, डिप्लोमा इंजीनियर, फार्मेसिस्ट, आई0टी0आई0 प्रशिक्षित बेरोजगारों, शिक्षा आचार्यों को नियुक्ति दिये जाने,
3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायक को एक वित्तीय वर्ष में- (1) कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निमार्ण, (2) 20 कि0मी0 डामरीकरण, (3) 5 झूला पुल, (4) 5 नवीन इण्टर-मीडिएट कालेज, (5) 5 नवीन हाईस्कूल, (6) 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,

4. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,

5. प्राइमरी विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,

6. जनपद टिहरी गढ़वाल में घुमेटी धार, धमातोली, दोणी, अखोड़ी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,

7. आपदा प्रबंधन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना बनाये जाने,

8. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना, मेंड़, मरवाड़ी, निवाल गांव, अगुण्डा कोटी, पिन्स्वाड़, कोट, बूढ़ाकेदार में दैवीय आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने तथा घनसाली तहसील की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नहरों का पुनर्निमाण करने,

9. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील में मगरौ, रगड़ी, केपार्स, निवाल गांव, तलियावन हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जूनियर हाईस्कूल कठैती, दोणी, पाख, पिन्स्वाड़, गंगी, फलेण्डा, जसपुर, गनवाड़ी का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,

10. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुफ्त बिजली दिये जाने,

11. जनपद टिहरी गढ़वाल के जगदीगाड़-कठूड़, हल्कावाहन मार्ग को मोटर मार्ग में तबदील करने, सिंदूल पटूड़गांव, लाटा-सिताकोट, छतियारा भजेती बैण्ड विनक खाल तिनगढ़ मोटर मार्ग का डामरीकरण करने,

12. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र, शिक्षा आचार्यों को नियमित किये जाने,

13. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत पर्यटन विकास हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के धार्मिक पर्यटक स्थानों- बूढ़ाकेदार, घुत्तू, मासरताल, सहस्त्रताल, मज्याड़ताल, लम्बताल, लिंगताल, मासूताल, जरालताल, क्यारखी बुग्याल, कुश कल्याण, पंवाली कांठा, झल्ला, खतलिंग, गंगी, पिन्स्वाड़, विशेष पर्वत, जगदीशिला, रतकोट, वालासुन्दरी, वेलेश्वर, दुधारी देवी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगढ़, रानीगढ़, माणिकनाथ,

किमुण्डाखाल को चिन्हित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने,

14. गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनैक्शन देने,

15. राज्य में होम गार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50 रू0 वृद्धि करने,

16. उत्तर प्रदेश के विकल्प धारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त करने व उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेराजगारों को नियुक्ति दिये जाने,

17. उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को विशेष सम्मान दिए जाने व उनको चिन्हित किये जाने,

18. अंशकालिक पी0टी0सी0 कार्यकर्ताओं को नियमित किये जाने,

19. प्रदेश में फलोत्पादन बीमा लागू करने,

20. जनपद टिहरी गढ़वाल के पिन्श्वाड़, गेवाली, सौड़, कांगड़ा, पटुड़गांव, वमोली, द्वारी, पुनोली, आर्स, अमरसर में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने,

21. जनपद टिहरी गढ़वाल में चुरेना बाल गंगा, हुलाणा खाल, पौखाल में विकास खण्ड खोले जाने,

22. जनपद टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील को जिला घोषित करने,

23. जनपद टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी में महाविद्यालय खोले जाने,

24. जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खण्ड में फलपट्टी योजना बनाए जाने,

25. वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यों हेतु शिथिल किये जाने,

26. जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम सरकण्डा, धारगांव, अमरसर, पटुड़गांव, आर्स, सौंप, तितुर्णा, अखोड़ी, वणचुरी में लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृत किये जाने,

27. जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खण्ड के लोदस, आर्स, खबूगी, सौंप, विनय खाल व वासर में पेयजल आपूर्ति किये जाने,

28. जनपद टिहरी गढ़वाल के घुतू पंजा से पंवाली थांण, पंगढुंग से विनयखाल, वडियार से रतकोट, तलियावन से आर्स-लोदस की यातायात व्यवस्था हेतु रजुमार्ग की स्वीकृति दिये जाने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार, घोपड़धार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग खोले जाने,
30. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनयखाल, बूढ़ाकेदार, जगदीशिला में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,
31. प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने, तथा
32. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली तहसील के भलेटी खवाड़ा में हवाई पट्टी की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

6. चौधरी यशवीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में पाले से आम व अन्य फलों व गन्ने की फसल नष्ट होने पर मुआवजे के संबंध में,
2. उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के संबंध में,
3. मजदूर की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के संबंध में,
4. पहाड़ों पर छोटे उद्योगों पर देय सबसिडी/सेल टैक्स/बिजली की दरों में मैदानों की अपेक्षा छूट देने के संबंध में,
5. जमीनों पर 'सर्किल रेट' बढ़ाये जाने के पश्चात कम करने के निर्णय के बाद भी हरिद्वार जिले में 'सर्किल रेट' न घटाये जाने के संबंध में,
6. गरीब किसान व गरीब दलितों के घरों पर निजी कनेक्शनों पर लगे अधिभार को घटाने के संबंध में,

7. हरिद्वार व इसके आसपास के जिलों में वर्षा न होने के कारण किसानों के हित हेतु कोई घोषणा के संबंध में,
8. हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा में नगर पंचायत होने पर भी कोई डिग्री कालेज व सरकारी अस्पताल (स्वास्थ्य केन्द्र) न होने के संबंध में,
9. हरिद्वार जनपद में भू-गर्भ जलस्तर गिर जाने के कारण जगह-जगह पर मेन गंग नहर से सिंचाई के लिये छोटी-छोटी (माइनर) नहरों/रजवाहों के निर्माण के संबंध में,
10. नगर निगम/नगर पंचायत में पेयजल के लगभग छः गुना बढ़े हुए रेट कम करने के संबंध में, तथा
11. प्रत्येक जनपद के स्कूलों में संबंधित विषयों के शिक्षक न होने के संबंध में।

7. श्री प्रेमानन्द महाजन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु खराब पड़े हुए इण्डिया मार्का II हैण्डपंपों की मरम्मत तथा रिबोरिंग किए जाने,
2. प्रदेश में किसानों के हित में स्वीकृत ट्यूबवैलों को शीघ्र लगाये जाने,
3. प्रदेश के पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में सिडकुल क्षेत्र के विकास के लिये मिट्टी, रेता-बजरी व ईंट ढुलान से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुनःनिर्माण किये जाने,
4. प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों में पानी के सरचार्ज घटाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पालिका गदरपुर के लिये बाईपास का निर्माण किये जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पालिका गदरपुर में महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में,

7. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले छूटे हुए परिवारों का पुनः सर्वे किये जाने,
8. प्रदेश में गरीब भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने,
9. ऊधमसिंह नगर में जलाशयों के किनारे खेती करने वाले छोटे-छोटे किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने,
10. प्रदेश में सिडकुल क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को 70 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी शासनादेश के अनुपालन किये जाने,
11. प्रदेश में रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री सरसों का तेल, रिफाइंड, दाल आदि के मूल्य वृद्धि को रोकने,
12. बांग्ला भाषी विद्यार्थियों को बांग्ला भाषा में ही पढ़ाई किये जाने के संबंध में,
13. जनपद ऊधमसिंह नगर में नगर पालिका दिनेशपुर में एल0पी0जी0 गैस बिक्री केन्द्र स्थापित किये जाने, तथा
14. जनपद ऊधमसिंह नगर में हरिपुरा जलाशय व गूलरभोज (बौर) जलाशयों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबंध में।

8. हाजी तसलीम अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में ठंड व पाले के असर से हुए फसलों व फलदार वृक्षों के नुकसान को दैवीय आपदा घोषित करने के संबंध में,
2. पाले के कारण गन्ने के बीज नष्ट हो जाने के कारण किसानों को निःशुल्क गन्ने का बीज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
3. हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र लालढ़ांग के ग्राम सुल्तानपुर कुन्हारी में 'फायर स्टेशन' खोले जाने के संबंध में,

4. हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र लालढ़ांग में जलस्तर गिरने के कारण सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप (ट्यूबवेल) लगवाये जाने के संबंध में,

5. हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र लालढ़ांग में जलस्तर गिरने के कारण पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु हैण्डपम्प (नल) लगवाये जाने के संबंध में,

6. सभी वन ग्रामों (टोंगिया ग्रामों) को राजस्व ग्राम घोषित कर समस्त सुविधायें दिलाये जाने के संबंध में,

7. राजाजी पार्क से सटे ग्रामों के लिये जंगली जानवरों एवं हाथियों से आबादी एवं फसलों की सुरक्षा हेतु तार-बाड़ कराये जाने के संबंध में,

8. किसानों को बिजली के कनेक्शन तत्काल जारी कर कनेक्शन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में,

9. हरिद्वार जनपद के लालढ़ांग क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक खोले जाने के संबंध में,

10. जनपद हरिद्वार के लालढ़ांग क्षेत्र में राज्य योजना के तहत सड़कों के निर्माण करने के संबंध में,

11. अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी योजना का उल्लेख न किये जाने के संबंध में,

12. जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर में पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में,

13. प्रदेश में स्थापित फैक्ट्रियों उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में, तथा

14. जनपद हरिद्वार के काटला पीर (पथरी जंगल) में मेले का आयोजन राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराकर कराने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

9. मौ0 शहजाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में पाले से नष्ट हुई फसलों का समुचित मुआवजा दिये जाने के संबंध में,

2. हरिद्वार जनपद में रतमऊ नदी पर ग्राम दादु बांस में पुल निर्माण के संबंध में,
3. जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी पर ग्राम रणसुरा के सामने पुल निर्माण के संबंध में,
4. जनपद हरिद्वार में समुचित विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,
5. जनपद हरिद्वार को विशेष पेयजल योजना दिये जाने के संबंध में,
6. प्रदेश में स्थापित फैक्ट्रियों/उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में,
7. भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के संबंध में,
8. जनपद हरिद्वार में नदियों के समीप कृषि भूमि के कटाव को रोकने के संबंध में,
9. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना के संबंध में,
10. जनपद हरिद्वार में जलस्तर गिरने के कारण सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप (ट्यूबवैल) लगवाये जाने के संबंध में, तथा
11. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिये ठोस उपाय किये जाने के संबंध में।

10. श्री यशपाल आर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में फूलों की खेती एवं फल उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,
2. राज्य में पॉलिटैक्निक कालेजों एवं आई0टी0आई0 में नए ट्रेड खोलने एवं रिक्त पदों पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध मे,
3. राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को विशिष्ट भर्ती अभियान के तहत भरे जाने के सम्बन्ध में,

4. राज्य में फल एवं सब्जी उत्पादकों हेतु सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं उचित दरों पर कीटनाशक तथा फफूंद नाशक दवाईयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
5. आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अध्यापन का विशिष्ट प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में,
6. प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र में एक ए0एन0एम0 को नियुक्त करने के सम्बन्ध में,
7. राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में विद्यार्थियों को राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करने हेतु विशेष छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में,
8. कुमाऊँ मंडल एवं गढ़वाल मंडल के मध्य बसों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में,
9. राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण रक्षा के लिए विशेष परियोजनाएं चलाने के सम्बन्ध में,
10. राज्य में मुर्गी पालन, मौन पालन एवं पशुपालन के क्षेत्र में कृषकों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में,
11. राज्य के कृषकों की फसलों को दैवीय आपदा से ग्रस्त होने पर बीमा कवर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
12. प्रदेश में वन गुर्जरों के हक-हकूक को संरक्षित करने के सम्बन्ध मे,
13. राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
14. राज्य में निर्माणकारी संस्थाओं में अभियन्ताओं की कमी को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट भर्ती अभियान प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में,
15. इन्दिरा आवास एवं दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना में अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को आच्छादित करने के सम्बन्ध में,
16. जनपद नैनीताल में बेतालघाट में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, तथा
17. सामाजिक वानिकी को सुदृढ़ करते हुए पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।

....